संख्या-89/2019/4161/सैंतीस-2-2019-1(40)/2018

प्रेषक,

बी. एल. मीणा,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक-19 नवम्बर, 2019

विषयः- **चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-15 के अधीन रूरल बैकयार्ड के अन्तर्गत सूकर पालन की योजना के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-28/प.-1/एन.एल.एम./15-रूरल बैकयार्ड सूकर विकास/19-20, दिनांक-23.10.2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में भारत सरकार द्वारा अवमुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-105-सुअर बाड़ा विकास-02-राष्ट्रीय पशुधन प्रबन्धन कार्यक्रम-0201-रूरल बैकयार्ड के अन्तर्गत सूकर पालन की योजना (के.60/रा.30/ला.10-के.+रा.) के निम्नलिखित मानक मदों में प्राविधानित धनराशि रू0-136.95 लाख (रूपये एक करोड़ छत्तीस लाख पच्चान्नबे हजार मात्र), जिसमें केन्द्रांश की धनराशि रू0-91.30 लाख व राज्यांश की धनराशि रू0-45.65 लाख है, की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल अधोलिखित प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं:-

मानक मद	स्वीकृत धनराशि (लाख में)
39-औषधि तथा रसायन	8.34
42-अन्य व्यय	20.59
43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	108.02
योग-	**136.95**

(रूपये एक करोड़ छत्तीस लाख पच्चान्नबे हजार मात्र)

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्ययोजना एवं मदों में निर्धारित गाइडलाईन्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उपलब्ध केन्द्रांश की सीमा तक ही किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में ही सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का किसी अन्य मद/योजना/कार्यक्रम में व्यय अनुमन्य न होगा।

(4) निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग यह सुनिश्चित करेगे कि इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं जमा किया जायेगा।

(6) योजनान्तर्गत वस्तुओं/सामग्रियों आदि का क्रय उ0प्र0 भण्डार क्रय नियमावली तथा वित्त विभाग/सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत सुसंगत शासनादेशों,

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

उ0प्र0 प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल (प्रोक्योरमेन्ट ऑफ गुड्स) 2016 एवं शासन द्वारा निर्धारित विभागीय क्रय नीति का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(7) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक-22.03.2019 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों तथा शासनादेश सं0-बी-1-1195/दस-16/94, दि0-06.06.1994 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-105-सुअर बाड़ा विकास-02-राष्ट्रीय पशुधन प्रबन्धन कार्यक्रम-0201-रूरल बैकयार्ड के अन्तर्गत सूकर पालन की योजना (के.60/रा.30/ला.10-के.+रा.) की सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-1-1014/दस-2019, दिनांक-14.11.2019 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(बी. एल. मीणा)
प्रमुख सचिव।

पृ0सं0-89/2019/4161(1)/सैंतीस-2-2019- तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. संयुक्त सचिव (एन.एल.एम.), भारत सरकार, पशुपालन एवं दुग्ध विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन एवं दुग्ध मँत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली-110001 ।
3. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-1/नियोजन अनु0-3 ।
6. वित्त संसाधन (केन्द्रीय-सहायता) अनुभाग/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(विनोद कुमार द्विवेदी)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।